राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 64/2015.. .जिला........जोधपुर............

उनवान–मै0 सनसिटी मेटल्स (प्रा.) लि0, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त,वा.क.वि., जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2016	खण्डपीठ श्री मनोहर पुरी–सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य अपीलार्थी की ओर से श्री दिवाकर गोयल बिजनेश मैंनेजर एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एन.एम.मेडतिया ने विद्ड्रा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट का लाभ लेने हेतु विचाराधीन अपील को आगे नहीं चलाकर विद्ड्रा करना चाहता है। अतः उक्त अपील को विद्ड्रा किये जाने के आदेश प्रदान करावे। इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विदड्रावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। 15.02.2016 15.02.2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) (मनोहर पुरी) सदस्य सदस्य	